इजलास सहायक कलक्टर दौसा मुकाम दौसा

जगदीश नारायण की बनाम बद्री नारायण वगैरह

किस्म मुकदमा धारा 53 नं. 84 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-6-18	पंचायती राजस्व लोक अदालत कैम्प मेहोली में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बाद ग्रस्त भूमि की नक्ल जमाबन्दी पत्र की नकल आमीन जमाबन्दी व बाद ग्रस्त भूमि का पूर्व से ही दिनांक 21-2-17 को बाटा विभाजन होना अलग-अलग खाता कायम हो चुका है। अलग-अलग खाता कायम हो जाने के फलस्वरूप वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य नहीं है तथा वादीगण ने भी अपने वाद को वापस लेने का आवेदन पत्र पेश किया है। जो स्वीकार किया जाता है। वादीगण का विड्रो प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने के फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। प्रकरण कैशलेस युक्त होकर नस्ती रैकमाफिक तथा बाद तामील पश्चिष्ट लेख आवश्यक है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प मेहोली के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	जगदीश नारायण आदि रामजीलाल आदि लल्लू व साद आदि

सहायक कलक्टर
दौसा